नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Animal Husbandry Diploma (पशुपालन पत्रोपाधि) (द्विवर्षीय स्ववित्तीय) पाठ्यक्रम (सत्र 2019–20) में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण की स्पॉट कांउसलिंग के रिक्त सीटों, नियम एवं शर्ते

(दिनांक 30.09.2019 सुबह 11.00 बजे)

क. रिक्त सीटों की जानकारी

फ्री सीट (Free Seat)

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित,		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग,		सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	कुल योग
	X	F	X	F	X	F	X	F		
वेटनरी पॉलीटेक्निक जबलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
वेटनरी पॉलीटेक्निक महू	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक रीवा	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
वेटनरी पॉलीटेक्निक मुरैना	0	1	0	0	0	0	0	1	3	**5**
कुल योग	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**9**

पेमेंट सीट (Payment Seat)

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित,		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग,		सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	कुल योग
	X	F	X	F	X	F	X	F		
वेटनरी पॉलीटेक्निक जबलपुर	1	0	0	0	0	1	1	0	1	**4**
वेटनरी पॉलीटेक्निक महू	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**2**
वेटनरी पॉलीटेक्निक रीवा	2	2	0	0	1	1	1	0	1	**8**
वेटनरी पॉलीटेक्निक भोपाल	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
वेटनरी पॉलीटेक्निक मुरैना	0	0	1	1	0	0	0	1	0	**3**
कुल योग	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**	**1**	**3**	**18**

वर्ग: F = महिला,, EWS =सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

स्थान : सभागार, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र) 482001

टीप : प्रवेशित छात्र –छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की सख्या में वृद्धि हो सकती हैं।

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ख. पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय स्ववित्तीय) (सत्र 2019–20) में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण स्पॉट काउंसलिंग के नियम एवं शर्ते

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी जिन्होनें CRISP, Bhopal द्वारा ऑन लाईन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया हैं अथवा जिन्होनें पंजीयन नही किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी चतुर्थ चरण स्पॉट काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है।
3. काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 30.09.2019 को जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवायेगें केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे ।
4. अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में आनॅलाईन काउंसलिंग के द्वारा फ्री सीट पर प्रवेश ले लिया हें, वे चतुर्थ चरण स्पॉट काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु पात्र नही है। पंरतु अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में आनॅलाईन काउंसलिंग के द्वारा भुगतान सीट में प्रवेश ले लिया हैं वे चतुर्थ चरण स्पॉट काउंसलिंग में केवल फ्री सीट में प्रवेश लेने हेतु प्रवीण्य एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र हैं ।
5. पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में DAHET–2019 कि प्रवीण्य एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन किया जायेगा।
6. प्रवेश हेतु DAHET–2019 की नियम पुस्तिका में दिये गए नियमों का पालन किया जाएगा एवं षासन के प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
7. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें।

- पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2019 की अंक सूची।
- हाई स्कूल (10^{th}), हायर सेकेण्डरी (12^{th} Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण–पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी ।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- मइग्रेशन प्रमाण पत्र।

- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारुप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावजों एवं उनकी दो छायाप्रतियों (फोटोकापी) को लाना अनिवार्य हैं।

8. अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगें

शुल्क निर्धारित तिथि में प्रवेष हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को आबंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याषी को योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दे दिया जावेगा।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क फ्री सीट् के लिए 34700/– एवं पेमेंट सीट के लिए 54700/– प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा (आरक्षित श्रेणी के अभ्यथियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी)।

कुल फीसः—

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)	
		फ्री सीट	पेमेंट सीट
1	प्रथम वर्ष प्रथम छः माही	34700/—	54700/—
2	प्रथम वर्ष द्वितीय छः माही	26710/—	46710/—
3	द्वितीय वर्ष प्रथम छः माही	26710/—	46710/—
4	द्वितीय वर्ष द्विती छः माही	26710/—	46710/—

शुल्क वापसीः सत्र 2019—20 में पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस की शर्ते निम्नलिखित हैः—

स.क्रं.	शुल्क वापसी का प्रतिशत *	प्रवेश निरस्त करने हेतु महाविद्यालय में सूचना देने की समय सीमा
1	100 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना से 15 दिवस पूर्व
2	80 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक नही
3	50 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक परंतु 30 दिवस से कम
4	00 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 30 दिन से अधिक

* कॉषनमनी एवं सुरक्षा निधि छोडकर

क्रमांक 01 हेतु प्रोसिस शुल्क 10 प्रतिषत देय होगा।

9. किसी भी वर्ग/श्रेणी हेतु आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी/वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही प्रवेष के पात्र होगें ।

10. आरक्षण के नियमानुसार किसी भी वर्ग/श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त सीटों को नियमनुसार वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अधिष्ठाता संकाय